रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2005/आश्विन 4, 1927
No. 413] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2005/ASVINA 4, 1927

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 610(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 की उप-धारा (1), उप-धारा (2), उप-धारा (3), उप-धारा (5) और उप-धारा (8) तथा धारा 609 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विनियम, 1956 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (संशोधन) विनियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी विनियम, 1956 में.—

(1) विनियम 2 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) "प्रादेशिक निदेशक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा, कम्पनी कार्य मंत्रालय में अपने-अपने क्षेत्रों के लिए किसी प्रादेशिक निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है :

	क्षेत्र	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
(i) प्रादेशिक निदेशक	उत्तरी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, नौएडा, (गौतम बुद्ध नगर)	जम्मू-कश्मीर राज्य, पंजाब राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य, हरियाणा राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तरांचल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़,
(ii) प्रादेशिक निदेशक	दक्षिणी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, चेन्नई	आंध्र प्रदेश राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिल नाडू राज्य, केरल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र लक्ष्यद्वीप और पांडेचेरी
(iii) प्रादेशिक निदेशक	पूर्वी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, कोलकता	बिहार राज्य, झारखंड राज्य, उड़ीसा राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, नागालैंड राज्य, मेघालय राज्य, मिजोरम राज्य, मणिपुर राज्य, त्रिपुरा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
(iv) प्रादेशिक निदेशक	पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, मुम्बई	महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, गुजरात राज्य, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव"

(2) ''बम्बई/कलकत्ता/कानपुर/मद्रास के प्रादेशिक निदेशक'' शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं ''प्रादेशिक निदेशक'' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5/18/2005-सी एल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल विनियम सं० का.नि.आ. 432-ख तारीख 18-2-1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :—

1. सा.का.नि. 188 तारीख 9-1-1958;
2. सा.का.नि. 399 तारीख 24-3-1962;
3. सा.का.नि. 1850 तारीख 1-12-1966;
4. सा.का.नि. 1445 तारीख 16-9-1967;
5. सा.का.नि. 668 तारीख 10-6-1973;
6. सा.का.नि. 523 तारीख 11-7-1989;
7. का.आ. 367 (अ) तारीख 31-5-1991; और
8. सा.का.नि. 924 (अ) तारीख 14-12-1992;

MINISTRY OF COMMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2005

G.S.R. 610(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1), (2), (3), (5) and (8) of Section 25 and Sub-section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Companies Regulations, 1956, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Companies (Amendment) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies Regulations, 1956,—

1. In Regulation 2, after clause (c) the following clause shall be inserted, namely :—

" (d) "Regional Director" means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Company Affairs as a Regional Director for the respective regions as under :—

	Region	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
(i) Regional Director	North Region Directorate Headquarter at Noida (Gautam Budh Nagar)	States of Jammu & Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, National Capital Territory of Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttaranchal and Union Territory of Chandigarh
(ii) Regional Director	Southern Region Directorate Headquarter at Chennai	States of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Lakshadweep and Pondicherry
(iii) Regional Director	Eastern Region Directorate Headquarter at Kolkata	States of Bihar, Jharkhand, Orissa, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Tripura and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands

(1)	(2)	(3)
(iv) Regional Director	Western Region Directorate Headquarter at Mumbai	States of Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Goa and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu''

(2) For the words ''Regional Director at Bombay/Calcutta/Kanpur/Madras'' wherever they occur, the words ''Regional Director'' shall be substituted.

[F. No. 5/18/2005-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Foot Note :— The Principal regulations were published in the Gazette of India *Vide* No. S.R.O. 432 B dated 18-2-1956 and subsequently amended by :—

1. G.S.R. No. 188 dated 9-1-1958.
2. G.S.R. No. 399 dated 24-3-1962.
3. G.S.R. No. 1850 dated 1-12-1966.
4. G.S.R. No. 1445 dated 16-9-1967.
5. G.S.R. No. 668 dated 10-6-1973.
6. G.S.R. No. 523 dated 11-7-1989.
7. S.O. No. 367 (E) dated 31-5-1991.
8. G.S.R. No. 924 (E) dated 14-12-1992.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 611(अ).—यह आम जनता के लिए सूचना है कि केन्द्र सरकार ने दिनांक 1 अगस्त, 2005 से प्रादेशिक निदेशालय, उत्तरी क्षेत्र के मुख्यालय, जो वर्तमान में कानपुर में है को नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) स्थान्तांरित करने का निर्णय लिया है।

[फा. सं. 5/18/2005-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2005

G.S.R. 611(E).—This is for general information of the public that Central Government has decided to shift the Headquarter of Regional Directorate, Northern Region, presently at Kanpur to Noida (Gautam Budh Nagar) with effect from 1st August, 2005.

[F. No. 5/18/2005-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.